


Not Press

24/9/2024 आज पत्रकारों के साथ
वार्ता करने का सिलसिला है।
वार्ता के लिए Not Press में नहीं
जाने चाहिए। वार्ता के लिए
सम्बन्धित कार्यालय जाने चाहिए।
जिसे भी वार्ता के लिए Not Press
में खरीज किया जाने लगे उसे

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्राचार नोट प्रदत्त के रचयिता
 के जाती है केवल मुक्त क्षेत्र
 न. न. से ५५ है। यह क्षेत्र
 के लिए मिला करे मण्डल है
 आदेश के अर्थ लिखना पावे
 सुनाय गया। 

उपखण्ड अधिकारी
 मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला - अलवर (राज
उत्तराखण्ड)

क्रमांक.....
कदमा.....
द २०
अन्तर्गत धारा.....
बनाम.....
शेखरी
शेखरी RTA

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आज एक पत्रावली को संबंधित
मूट # वाद नोट प्रेस में खराब
बिना ~~है~~ गाना है अतः प्रत्यक्षता
पर शेखरी RTA परमावली
नोट प्रेस में खरी ली जा
है परमावली के अलावा एक
नम्बर के एक ही वाद रजिस्ट्रार
दखिल जिला जेठ २०३१ (एक मूट
वाद है। दुःखा गाना।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजा)